राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	शंकरलाल बनाम कैलाश 242/2021, 408/2021 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

15/04/2026

पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद संख्या (54/1976)(573/1996)(209/2019) पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24/03/2021 के विरुद्ध इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपीले क्रमश: 242/2021 व 408/2021 में इकजाई बहस सुनी जानी उचित समझी जाती है | अत: अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस दोनों पत्रावलीयो पर ईकजाई रूप से सुनी गयी | अत: पत्रावलीयां निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है | पत्रावलीयां वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 11/05/2026 को पेश हो |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

11/05/2026

आज यह पत्रावलीयां वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी के पिता ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक जिलाधीश एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट कोर्ट नं. 1 जयपुर जिल जयपुर में घोषणा एवं निषेधाज्ञा बाबत् अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91 व 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट इस आशय का पेश किया की भूमि वादग्रस्त हाल ख.नं. 757, 1322, 1472, 1491, 1492, 1609, 1610, 1611, 2619 कुल किता 9 कुल रकबा 4.89 हेक्टेयर स्थित ग्राम झर तहसील बस्सी जिला जयपुर में स्थित है एवं हाल भूप्रबंध से पूर्व भूमि वादग्रस्त के साबिका ख.नं. 269 रकबा 18 बिस्वा, ख.नं. 291 रकबा 7 बिस्वा, ख.नं. 980 रकबा 7 बीघा 4 बिस्वा रहे है। वाद पत्र के मद नं. 1 में वर्णित आराजीयात का लगान वादी प्रतिवादीगण के पूर्वज को हमेशा देता आ रहा था तथा सन् 1966 से 100/ रुपये लगान के पेटे लेना वादी व प्रतिवादी के मध्य तय हुआ था जिसे वादी अदा करता आ रहा है। प्रतिवादीगण के पूर्वज ने तहसील के राजस्व कर्मचारियों से साज करके राजस्व रिकार्ड में अपने नाम गुपचुप दर्ज करा लिया जिसका इल्म वादी को नहीं हुआ व होने पर वादी ने उपजिलाधीश के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादी बद्रीनारायण ने राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज अपने हक में करा लिया है । जबकि विवादग्रस्त आराजी पर बद्रीनारायण कभी भी कब्जे काश्त नहीं रहा है । उपजिलाधीश जयपुर द्वारा तहसीलदार बस्सी को आदेश दिया कि बाद जांच मौका गिरदावरी की जाये इस पर नायब तहसीलदारजी बस्सी ने मौका रिर्पोट दिनांक 11.10.1976 को की जिसमें वादी का ही कब्जा पाया गया तथा वादी द्वारा ही काश्त बोया जाना सिद्ध हुआ । प्रतिवादीगण एकराय होकर वादी के कब्जे कारत की आराजी में स्थित काश्त को बरबाद करने की चेष्टा की व दिनांक 21.11.1976 को करीबन सायंकाल 6 बजे वा के खेत में पडी कडब व पानी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	शंकरलाल बनाम कैलाश हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
242/2021, 408/2021		

के पूलो में आग लगा दी जिससे वादी को काफी आर्थिक क्षति हुई। इसकी रिर्पोट वादी ने उसी रोज जाकर पुलिस थाना बस्सी में दर्ज करायी लेकिन उस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई तथा प्रतिवादीगण गांव में ऐलानियां कहते है थाना हमारा है, हम जो करेंगे सो करेंगे तथा वादी को इस आराजी मुतनाजा से बेदखल कर कब्जा करेंगें। वर्तमान काश्त जो वादी की तारामौरा की खडी है उसको भी बरबाद करेंगें। प्रतिवादी के दत्तक पिता घासी ने वादी को यह आश्वासन दिया था कि तहसील कागजातो में गलती से हमारा नाम दर्ज हो गया है हम इसे तहसील में चलकर ठीक करा देगे तुम इस जमीन को जोतो बोओ हमारा इस आराजी से कोई लेना देना नहीं है। तथा लगान भी तुम हमको दे दिया करों। अब प्रतिवादी सं. 1 व 2 के मन में कपट आ जाने से वादी की कब्ज काश्त की आराजी को हडपने पर पूर्णत उतारु है तथा आये दिन वादी व इसके परिवार को जान से मारने की धमकी देते है और दिलाते है। वादी प्रतिवादीगण की अपेक्षा कमजोर है क्योंकि वादी अकेला वृद्ध अनुसूचित जनजाति का सदस्य है। प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 15/12/1976 को जब वादी अपने कब्जे काश्त की आराजीयात में स्थित तारामीरा की काश्त की देखभाल करने गया था तो अचानक प्रतिवादीगण जूमले आम लाठियां लेकर आये तथा वादी को मारपीट की तथा कहा कि तुम इस आराजीयात को राजीखुशी छोड दो अन्यथा तुम्हे व तुम्हारे परिवार को जान से खत्म कर देगे। ऐसी स्थिति में श्रीमान के समक्ष यह वाद प्रस्तुत करना लाजमी आया है। वादी ने वादग्रस्त आराजी को कृषि योग्य बनाने में काफी बस्सी जिला जयय व्यय किया है। तथा वादी विवादित आराजी में प्रतिवर्ष काश्त करता आ रहा है। तथा गत वर्ष श्यालू की फसल में बाजरा, मोठ, मूंग की काश्त की थी तथा वर्तमान में तारामीरा की काश्त वादी की खडी है। वादी के आवासीय मकानात इसी आराजी में बने हुये है जिसमें वाद। अपने परिवार सहित रहता है। तथा इसी आराजीयात से प्राप्त आय से वादी स्वयं तथा अपने परिवार का पालन पोषण करता है। यदि प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नही किया गया तो वे वादी को विवादग्रस्त आराजी से बेदखल करने में कामयाब हो जायेंगे तथा वादी को काफी अधिक क्षति होगी तथा वादी व इसके परिवार का जीवोकोपार्जन का साधन नही रहेगा क्योंकि वादी के पास इस आराजी के अलावा दीकर आराजी कृषि हेतु नही है। वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की डिकी फरमायी जावे कि वे आराजी भूमि वादग्रस्त हाल ख.नं. 757, 1322, 1472, 1491, 1492, 1609, 1610, 1611, 2619 कुल किता 9 कुल रकबा 4.89 हेक्टेयर स्थित ग्राम झर तह. बस्सी जिला जयपुर साबिका ख.नं. 269 रकबा 18 बिस्वा,

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

ख.नं. 291. रकबा 7 बिस्वा, ख.नं. 980 रकबा 7 बीघा 4 बिस्वा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। वाद पत्र के मद नं. 1 में वर्णित आराजी जो प्रतिवादीगण ने अपने नाम करवा ली है। उसको वादी के हक में दुरुस्त फरमाया जावें। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबंद किया जावे कि वादी के कब्जे काश्त की आराजी जो कि वाद पत्र के मद नं. 1 में वर्णित है उसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी व मजाहमद न करे न करावें।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र प्रस्तुत होने पर वाद दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलबी हेतु सम्मन जारी किया गया। तत्पश्चात उक्त वाद पत्र में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पत्रावली सहायक कलेक्टर बस्सी के समक्ष स्थानातरित की गयी | प्रतिवादी संख्या 1 लगा. 3 ने जवाब वाद पेश कर वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार किया गया | तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली में तनकीयात कायम कर तनकीवार निर्णय व डिक्री दिनांक 24/03/2021 पारित करते हुये वादी का वाद ख़ारिज फरमा दिया गया | जिससे व्यथित होकर इस न्यायालय के समक्ष पृथक-पृथक अपीले क्रमश: 242/2021 व 408/2021 प्रस्तुत की गयी है | जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस दोनों पत्रावलीयो पर ईकजाई रूप से सुनी गयी | चूँकि दोनों अपीले एक ही वाद में पारित निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है, जिसमे उभयपक्षों की ईकजाई बहस समायत की गयी है | अत: इस एक ही निर्णय के माध्यम से दोनों अपीलों का निस्तारण किया जा रहा है | निर्णय की एक-एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर सलग्न की जावे |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों का समुचित एवं सही रूप से परिक्षण/विवेचन किये बगैर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये गये है, जो न्यायोचित्त प्रतीत नही होते है | ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों को विस्तृत रूप से विवेचित करते हुये विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझा जाता है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 24/03/2021निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे बाद सुनवाई उभयपक्षकारान प्रकरण के तथ्यों का समुचित एवं विस्तृत

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	शंकरलाल बनाम कैलाश हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

242/2021, 408/2021

रूप से परिक्षण/विवेचन करते हुये पुन: विधिसंगत निर्णय व डिक्री पुन: पारित करे | तदनुसार अपील संख्या 242/2021 व 408/2021 निस्तारित की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 11/05/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी • जयपुर